21-4-22	अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24–02–2022 जोकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित किया गया है के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24–02–2022 को पारित प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अभिनिर्धारित करते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। उक्त आदेश की अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत पोषणीय होती है, नाकि धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के इन्ग्रिडेन्ट्स का भी अवलोकन किया गया। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के विभाजन को चुनौती दी गई जबकि आदेश जैर अपील में वादग्रस्त भूमि के विभाजन को अभिनिर्धारित/तय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट् द्वारा आनन–फानन में अपील प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय हाजा से एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। चूंकि अपीलांट् द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपील प्रस्तुत किया जाना व अपील के आधार आदेश जैर अपील के विपरीत होना प्रथम दृष्टया ही साबित होता है। ऐसीस्थिति में प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किये बिना अपीलांट् की अपील विधिक प्रावधानों विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपील अपीलांट् इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो। 21/4/22 (रामस्वरूप चौहान) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर